प्रेषक,

अजय अग्रवाल,

सचिव,

उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,

उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 24 सितम्बर, 2015

विषयः सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत् सेवकों की राजकीय सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण/निर्धारण की सुविधा प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या जी-2-359/दस-1998, दिनांक 12 जून, 1998] शासनादेश संख्या जी-2-1252/दस-2000-301-98, दिनांक 21 नवम्बर, 2000 एवं शासनादेश संख्या जी-2-929/दस-2004-301/98, दिनांक 19 मई, 2004 द्वारा राज्य सरकार के अपने सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मियों तथा भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम/निगम में कार्यरत् कर्मियों को लोक सेवा आयोग/सक्षम स्तर के चयन समिति द्वारा चयनोपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पर वेतन संरक्षण की व्यवस्था की गयी है जो भारत सरकार द्वारा समान विषय पर की गयी व्यवस्था पर आधारित है।

2- उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा उपर्युक्त व्यवस्था के संदर्भ में निर्गत अपने मूल शासनादेश के संबंध में अपने कार्यालय ज्ञाप संख्या-12/1/96-Estt.(Pay-1) दिनांक 10-07-98 द्वारा यह स्पष्टीकरण भी निर्गत किया गया है कि सार्वजनिक उपक्रम/निगम, विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मियों को खुली प्रतियोगिता के आधार पर भारत सरकार की सेवा में नियुक्त होने पर वेतन संरक्षण का लाभ देय नहीं है। राज्य सरकार द्वारा भी अपने शासनादेश दिनांक 12 जून, 1998 में यह स्पष्ट प्राविधान किया गया है कि राजकीय सेवा में नियुक्ति पर सार्वजनिक उपक्रम आदि में प्राप्त वेतन संरक्षण की सुविधा इसलिये प्राविधानित की जा रही है ताकि उनमें कार्यरत बुद्धिजीवी सेवकों को राजकीय सेवा में आकर्षित किया जा सके। खुली प्रतियोगिता से उक्त उद्देश्य की पूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं होती है, अपितु लोक सेवा आयोग अथवा सक्षम स्तर के चयन में विशिष्ट योग्यता धारकों का चयन किये जाने पर ही ऐसी स्थिति बनती है। अतएव सम्यक् विचारोपरान्त भारत सरकार की व्यवस्था एवं राज्य सरकार के शासनादेश के संदर्भ में सार्वजनिक

http://shasanadesh.up.nic.in

उपक्रम/निगम] विश्वविद्यालय में कार्यरत् कर्मियों की लोक सेवा आयोग/सक्षम स्तर के चयन समिति द्वारा चयनोपरान्त राज्य सरकार की सेवा में नियुक्ति पर प्रदान किए गए वेतन संरक्षण के संदर्भ में पूर्व में जारी शासनादेशों के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 12-06-1998 द्वारा प्रदत्त वेतन संरक्षण की सुविधा का लाभ ऐसी स्थिति में देय नहीं है जबकि संबंधित सरकारी सेवक का चयन खुली प्रतियोगिता के आधार पर हुआ हो। बल्कि उक्त सुविधा का लाभ शासन द्वारा तभी अनुमन्य कराया जाना है, जब सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मियों की विशेषज्ञता का लाभ लेने के लिये किसी विशिष्ट पद पर उनका चयन लोक सेवा आयोग द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाये एवं लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को प्रेषित अपने संस्तुति पत्र में यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया हो कि संबंधित कर्मी का वेतन उपरोक्त शासनादेश दिनांक 12-06-1998 के अन्तर्गत संरक्षित किया जाना है। इसके अतिरिक्त इस प्रकार नियुक्त सरकारी सेवकों को वेतन संरक्षण का लाभ तभी देय है जब वे अपने पूर्व पद पर स्थायी हों। इस प्रकार के प्रकरणों में वेतन संरक्षण के आदेश प्र0वि0 द्वारा वित्त विभाग की सहमति से जारी किए जायेंगे। जिन प्रकरणों में वेतन संरक्षण का लाभ वित्त विभाग की सहमति से पूर्व में अनुमन्य कराया जा चुका है, उन्हें पुनः नहीं खोला जायेगा।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव

संख्या- 4/2015/जी-2- 25(1)/दस-2015-301/98 टी0सी0-1, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- निदेशक, वित्त एवं लेखा प्रशिक्षण संस्थान, 22/3, इन्दिरा नगर, लखनऊ ।

आज्ञा से,

बी0 के0 सिंह

विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in